

19 SEP 2019

संख्या-1196 /V- 2/11(एल0यू0सी0)2003 /2019

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Adm/oc/Lec

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल

संख्या 811

दिनांक 19.9.19

57

जिलाधिकारी

नैनीताल

सेवा में,

- 1- मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त जिला स्तरीय विकास
प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

- 2- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार/देहरादून।
- 4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 06 सितम्बर, 2019

विषय-महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क निर्धारण किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1895/V/आ0-2016-11(एल0यू0सी0)/03-2016, दिनांक 28.12.2016 के प्रस्तर-2(3) एवं प्रस्तर-2(7) में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1895/V/आ0-2016-11 (एल0यू0सी0)/03-2016, दिनांक 28.12.2016 द्वारा महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-02(03) में उल्लिखित तालिका में मनोरंजन एवं पर्यटन भू-उपयोग की दरें निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रं सं०	प्रस्तावित भू-उपयोग महायोजना में भू-उपयोग	मनोरंजन एवं पर्यटन (शासनादेश संख्या-1895 दिनांक 28.12.2016 लागू दरें)	मनोरंजन एवं पर्यटन (संशोधित दरें)
1	कृषि एवं हरित क्षेत्र	30	10
2	परिवहन एवं संचार (मार्ग प्रस्ताव को छोड़कर)*	20	10
3	मनोरंजन एवं पर्यटन	-	-
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (विश्वविद्यालय को छोड़कर)	-	-
5	आवासीय	10	10
6	औद्योगिक***	10	10
7	व्यवसायिक	-	-

Dm

2- साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(7) में मनोरंजन एवं पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों के अन्तर्गत पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-2272/VI/2018-04(01)/2017, दिनांक 26.11.2018 के प्रस्तर-8.3 में अधिसूचित 28 गतिविधियां को भी सम्मिलित किया जाता है।

3- शासनादेश संख्या-1895/V/आ0-2016-11(एल0यू0सी0)/03-2016, दिनांक 28.12.2016 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाये। शासनादेश के शेष अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत रहें।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या- 1196 / V- 2 / 11(एल0यू0सी0)2003 / 2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव-सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/देहरादून।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- सहयुक्त नियोजन, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
- 5- एन0आई0सी0/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव